2015 का विधेयक संख्यांक 264

[दि अटोमिक एनर्जी (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

1962 का 33

2. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) में, खंड (खख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(खख) "सरकारी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसमें--

(i) इक्यावन प्रतिशत से अन्यून समादत्त शेयर पूंजी केंद्रीय सरकार द्वारा धारित

की जाती है ; या

(ii) संपूर्ण समादत्त शेयर पूंजी, उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों द्वारा धारित की जाती है और जो इसके संगम अनुच्छेदों द्वारा केंद्रीय सरकार को इसके निदेशक बोर्ड को गठित और पुनर्गठित करने के लिए सशक्त करती है ;' ।

धारा 14 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(1क) उपधारा (1) के खंड (ii) के उपखंड (ग) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति केंद्रीय सरकार के किसी विभाग या केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण या किसी संस्था या किसी निगम या किसी सरकारी कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी ।

(1ख) उपधारा (1) के अधीन किसी सरकारी कंपनी को प्रदत्त कोई भी अनुज्ञप्ति उस दशा में रद्द हो जाएगी जब अनुज्ञप्तिधारी कोई सरकार कंपनी नहीं रह जाता है तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसकी सभी आस्तियां किसी भी दायित्व से मुक्त केंद्रीय सरकार में निहित होंगी और केंद्रीय सरकार संयंत्र के सुरक्षित प्रचालन तथा उसमें इस प्रकार निहित नाभिकीय सामग्री के व्ययन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो वह धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आवश्यक समझे ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

परमाणु ऊर्जा विधेयक, 1962 केंद्रीय सरकार को स्वयं द्वारा या उसके द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण या निगम के माध्यम से या किसी सरकारी कंपनी द्वारा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन, विकास, उपयोग और व्ययन करने तथा उससे संबंधित किसी विषय में अनुसंधान करने के लिए सशक्त करता है ।

2. वर्तमान में दो पब्लिक सेक्टर उपक्रम (पीएसयूएस) अर्थात् न्यूक्लियर पावर कारपोरशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (बीएचएवीआईएनआई), जो परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं, देश में नाभिकीय विद्युत संयंत्र प्रचालित कर रहे हैं । नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के विस्तार के लिए अतिरिक्त वित्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और भारत की नाभिकीय विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए एनपीसीआईएल द्वारा, भारत के अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के साथ सिविल नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों का बनाया जाना विचाराधीन है ।

3. अधिनियम में "सरकारी कंपनी" पद का अभिप्राय ऐसी कंपनी होना परिभाषित किया गया है जिसमें इक्यावन प्रतिशत से अन्यून समादत्त शेयर पूंजी केंद्रीय सरकार द्वारा धारित की जाती है । इस प्रकार अधिनियम पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए किसी सरकारी कंपनी को अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने से इस कारण से प्रवारित करता है कि दो पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा बनाई गई कोई संयुक्त उद्यम कंपनी शेयर धारक के रूप में केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन नहीं हो ।

4. परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015 उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (खख) के अधीन "सरकारी कंपनी" की परिभाषा को, ऐसी संयुक्त उद्यम कंपनियों को, जो एनपीसीआईएल और अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के बीच बनाई जाए, सम्मिलित करके इसके क्षेत्र को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, संशोधित करके इस कठिनाई को दूर करने के लिए है । इस विधेयक में उक्त अधिनियम की धारा 14 में भी पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे केंद्रीय सरकार को नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने, उनके सुरक्षित प्रचालन के लिए उपाय करने और नाभिकीय सामग्री का व्ययन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी संयुक्त उद्यम कंपनियों को अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए समर्थ बनाया जा सके । इसमें किसी अनुज्ञप्तिधारी के सरकारी कंपनी नहीं रह जाने की दशा में अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए भी उपबंध है ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
27 नवम्बर, 2015

जितेन्द्र सिंह

उपाबंध

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम संख्यांक 33) से उद्धरण

* * * * * * *

परिभाषाएं और निर्वचन ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

* * * * * * *

(खख) "सरकारी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसमें इक्यावन प्रतिशत से अन्यून समादत्त शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा धृत है ;

* * * * * * *

परमाणु ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग पर नियंत्रण ।

14. (1) केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित को उसके द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के बिना प्रतिषिद्ध कर सकती है--

* * * * * * *

GMGIPMRND—3114LS(CRC)—01.12.2015.

परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015 (लोक सभा द्वारा पारित रूप में) का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
1	5	की उपधारा	की धारा 2 की उपधारा
2	12	मुक्त केन्द्रीय	मुक्त होकर केन्द्रीय
2	13	उसमें इस प्रकार निहित होंगी और केन्द्रीय सरकार संयंत्र के सुरक्षित प्रचालन तथा उसमें इस	उसमें इस